

बिहार सरकार

श्रम संसाधन विभाग

निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष), बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार
वीरचन्द्र पटेल, पथ
बिहार, पटना।

विषय:-

महिला औ0 प्र0 संस्थान, औरंगाबाद के संचालन हेतु श्री अमरेन्द्र कुमार अमर, पिता-श्री राम किशोर शर्मा, कर्मा रोड, महावीर नगर, औरंगाबाद के निजी मकान को दिनांक 15.06.2019 से एग्रीमेंट अवधि तक अथवा सरकारी भवन उपलब्ध होने तक (दोनों में जो पहले घटित हो) निर्धारित राशि रू0-60,000/- (साठ हजार) मात्र मासिक किराये पर रखने की स्वीकृति।

आदेश-

स्वीकृत।

2. मंत्रिमंडल सचिवालय (प्रशासनिक सुधार शाखा) के संकल्प संख्या 4761 दिनांक 28.10.1971 के साथ पठित संकल्प संख्या 62 (प्र0 सु0) दिनांक 09.09.1974 द्वारा विभागीय/विभागाध्यक्षों को प्रायोजित शक्तियों के अनुसार स्वीकृत्यादेश आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जाता है।

3. यह व्यय आय-व्यय शीर्ष मुख्य शीर्ष-2230, श्रम तथा रोजगार, उपमुख्य शीर्ष-03- प्रशिक्षण, लघु शीर्ष 003-शिल्पकारों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण, उपशीर्ष 0118- नया औ0 प्र0 संस्थान की स्थापना, विषय शीर्ष 0118.14.01 किराया महसूल एवं कर, विपत्र कोड-26-2230030030118 चालू वित्तीय वर्ष में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

4. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, प्राचार्य, महिला औ0 प्र0 संस्थान, औरंगाबाद होंगे।

5. राशि की निकासी कोषागार, औरंगाबाद से की जायेगी।

6. प्रस्ताव में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं0 टी-3/भवन किराया-02/2019 के पृष्ठ-08/टि0 पर प्राप्त है।

7. प्रस्ताव में विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-

संयुक्त सचिव

श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक:- टी-3/भवन किराया-02/2019-...../

पटना, दिनांक-

-

-2019.

प्रतिलिपि- कोषागार पदाधिकारी, औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-

संयुक्त सचिव

श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक:- टी-3/भवन किराया-02/2019-...../

पटना, दिनांक-

-

-2019.

प्रतिलिपि- वित्त विभाग (आय व्यय शाखा), बिहार, पटना को सूचनार्थ।

ह0/-

संयुक्त सचिव

श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक:- टी-3/भवन किराया-02/2019-...../

पटना, दिनांक-

-

-2019

प्रतिलिपि- प्राचार्य, महिला औ0 प्र0 संस्थान, औरंगाबाद/ श्री अमरेन्द्र कुमार अमर, पिता- श्री राम किशोर शर्मा, कर्मा रोड, महावीर नगर, औरंगाबाद/निदेशक नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. उपर्युक्त स्वीकृत्यादेश के आधार पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, बजट उपबंध रहने पर मकान के किराये का भुगतान करते रहेंगे। इसके लिए प्रतिवर्ष स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है, परन्तु भुगतान करने के पूर्व कार्यपालक अभियन्ता, भवन निर्माण विभाग से भवन अनुपलब्धता का प्रमाण पत्र प्रत्येक वित्तीय वर्ष के आरंभ में प्राप्त कर लेना होगा, जो बिहार वित्त नियमावली खण्ड-2 के परिशिष्ट-5 के अनुबंध 'क' के मद संख्या 22 के प्रावधानों के अनुसार प्रति वर्ष प्रथम बार के साथ संलग्न किया जायेगा।

3. किराये में वृद्धि एवं भवन परिवर्तन के हालत में किराये की स्वीकृति में पुनः सरकार का आदेश प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

ह0/-

संयुक्त सचिव

श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक:- टी-3/भवन किराया-02/2019-...../

पटना, दिनांक-

-

-2019.

प्रतिलिपि- बजट शाखा/मासिक व्यय निकासी शाखा/भवन शाखा, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष), बिहार, पटना/आई0 टी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2019-05

संयुक्त सचिव

श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना